49 रा0 वि0
29/03/22

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0-33/2016-17/ /मत्स्य, राँची, दिनांक

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*।

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय में कुल मो0 483.94232 लाख (चार करोड़ तिरासी लाख चौरानवे हजार दो सौ बत्तीस) रू0 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ अनुमानित व्यय पर योजना की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना में माँग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) के मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय के तहत् "तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना'' अंतर्गत कुल मो0 483.94232 लाख (चार करोड़ तिरासी लाख चौरानवे हजार दो सौ बत्तीस) रू0 मात्र की लागत पर योजना के प्रशासनिक एवं कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्तावित निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति इस योजना के अधीन निम्न रुप से दी जाती है -

क्रम	प्रस्तावित निर्माण कार्य	प्राक्कलित राशि (रू0 में)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	स्थापना/ जिला
(क)	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन			
1	मत्स्य निदेशालय भवन, डोरण्डा हेतु वाहन शेड, एक डीप बोरिंग तथा एक रिचार्ज पिट का निर्माण।	11,84,900/-	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0-02, राँची के पत्रांक 389/ अनु0 दिनांक 07.02.2022 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	मत्स्य निदेशालय, डोरण्डा, राँची
2	मत्स्य किसान प्रशिक्षण एवं मत्स्य अनुसंधान केन्द्र, शालीमार, धुर्वा, राँची में सिक्युरिटी लाईट, गार्डन लाईट, डेकोरेटिव लाईट, मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, फीडर पैनल, पैनल से पावर सोर्स तक केबल अधिष्ठापन तथा प्रशिक्षण भवन हेतु 62.5 के0वी0ए0 डीजी सेट अधिष्ठापन संबंधी विद्युतिकरण कार्य।	81,55,576/-	विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्य अंचल, राँची के पत्रांक 241 दिनांक 21.02.2022 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची
3	मत्स्य कार्यालय, हजारीबाग का चाहरदीवारी निर्माण कार्य।	4,96,300/-	जिला अभियंता, जिला परिषद, हजारीबाग द्वारा दिनांक 27.10.2021 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	हजारीबाग
4	मत्स्य कार्यालय, हजारीबाग में जमीन एवं सीढ़ी का निर्माण कार्य।	2,49,800/-	सहायक अभियंता, एन0 आर0 ई0 पी0, हजारीबाग द्वारा दिनांक 18.07.2021 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	हजारीबाग

Scanned by CamScanner

5	जिला मत्स्य कार्यालय परिसर हजारीबाग में small RAS (with 1 tank of 100m3 capacity) का निर्माण	6,00,000/-	एन0एफ0डी0बी0 हैदराबाद के पत्रांक NFDB-PMMSY GEN/20-21 दिनांक 27.11.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये इकाई लागत विवरणी के अधीन अधिष्ठापन कार्य किया जाएगा	हजारीबाग
6	जिला मत्स्य कार्यालय, रामगढ़ के प्रांगण में पेवर ब्लॉक सतह का निर्माण कार्य	12,97,400/-	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, रामगढ़ द्वारा दिनांक 01.11.2021 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	रामगढ़
7	फिश फीड मिल, तेलीपाड़ा, धनबाद का चाहरदीवारी निर्माण कार्य	42,64,100/-	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, धनबाद के पत्रांक 326/अनु0 दिनांक 14.02.2022 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	धनबाद
8	रिटेल फिश मार्केट, देवघर में अपशिष्ट ट्रीटमेंट प्लांट का शेड निर्माण एवं पी0 सी0 सी0 रोड निर्माण कार्य	8,00,600/-	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, देवघर द्वारा दिनांक 25.01.2022 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	देवघर
9	जिला मत्स्य कार्यालय एवं गार्ड रुम, देवघर में विद्युतिकरण कार्य	6,36,922/-	विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्य अंचल, राँची के पत्रांक 75 दिनांक 03.02.2022 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	
10	जिला मत्स्य कार्यालय परिसर पलामू में चाहरदीवारी निर्माण एवं पेवर ब्लॉक का कार्य	12,94,800/-	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, डालटनगंज के पत्रांक 190/ अनु0 दिनांक 21.02.2022 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	पलामू
	उप योग:	1,89,80,398/-		
(ख)	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
1	मत्स्य निदेशालय भवन, डोरण्डा में चाहरदीवारी तथा गेट निर्माण एवं वॉल राईटिंग कार्य	32,65,300/-	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0-02, राँची के ज्ञापांक 773 दिनांक 08.03.2022 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	मत्स्य निदेशालय, डोरण्डा, राँची
2	शालीमार, धुर्वा, राँची में स्थित मत्स्य बाजार के लिए सिक्युरिटी लाईट, मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पैनल तथा पैनल ls S/L of XLPE पावर केबल, पैच रिपेयर के साथ-साथ हाईमास्ट लाईट के रिपेयरिंग संबंधी विद्युतिकरण कार्य	29,64,027/-	विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्य अंचल, राँची के पत्रांक 241 दिनांक 21.02.2022 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	राँची
3	डोरण्डा मत्स्य फॉर्म, राँची में गेट एवं कन्सरटीना वायर के साथ कम्पाउण्ड वॉल, पार्क का सौंदर्यीकरण, बागवानी एवं संकेत संबंधी कार्य	11,85,100/-	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0-02, राँची के पत्रांक 389/ अनु0 दिनांक 07.02.2022 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	
4	जिला मत्स्य कार्यालय, राँची से डोरण्डा मत्स्य फॉर्म, राँची के हैचरी तक पी0 सी0 सी0 रोड निर्माण कार्य	8,43,000/-	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0-02, राँची के पत्रांक 389/ अनु0 दिनांक 07.02.2022 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	
5	बटन तालाब, डोरण्डा, राँची के लिए सिक्युरिटी लाईट, गार्डन लाईट, पाथ वे लाईट के साथ-साथ हाईमास्ट लाईट के रिपेयरिंग संबंधी विद्युतिकरण कार्य	67,20,157/-	विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्य अंचल, राँची के पत्रांक 241 दिनांक 21.02.2022 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	
6	बटन तालाब, डोरण्डा, राँची के लिए कम्पाउण्ड वॉल एवं स्टोन पीचींग का निर्माण कार्य	24,78,400/-	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0-02, राँची के ज्ञापांक 708 दिनांक 03.03.2022 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	राँची
7	बटन तालाब, डोरण्डा, राँची में पेवर ब्लॉक पाथ वे का निर्माण	15,94,200/-		

Scanned by CamScanner

8	बटन तालाब, डोरण्डा, राँची में पी0सी0सी0 पथ का निर्माण	20,80,100/-	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0-02, राँची के ज्ञापांक 708 दिनांक 03.03.2022 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	राँची
9	हैचरी परिसर, डोरण्डा, राँची में पी0सी0सी0 टो वॉल का निर्माण कार्य	22,80,000/-		
10	बटन तालाब, डोरण्डा, राँची के लिए पी0सी0सी0 पथ एवं पाथ वे का निर्माण तथा सीढ़ी संबंधी कार्य	16,01,200/-		
11	हैचरी परिसर, डोरण्डा, राँची में पॉन्ड डाईक, पाथ वे तथा सीढ़ी संबंधी निर्माण कार्य	24,75,300/-		
12	जिला मत्स्य कार्यालय, सिमडेगा परिसर में कॉमन टायलेट का निर्माण	6,96,150/-	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, सिमडेगा द्वारा दिनांक 21.10.2021 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	सिमडेगा
13	जिला मत्स्य कार्यालय, सिमडेगा के परिसर में पेवर ब्लॉक तथा वाटर फाउण्टेन संबंधी कार्य	10,58,400/-		
14	जिला मत्स्य कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के कार्यालय परिसर में गार्डन एवं झण्डोत्तोलन चबूतरा निर्माण कार्य	1,72,500/-	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, जमशेदपुर द्वारा दिनांक 22.11.2021 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
	उप योग:	2,94,13,834/-		
	कुल योग:	4,83,94,232/-		

3. स्वीकृत राशि का व्यय निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है:

मॉग सं0-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-4405-मछली-पालन पर पूँजीगत् परिव्यय

(राशि लाख रू0 में)

क्र0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	वर्तमान में स्वीकृत राशि	शेष बजट उपबंध
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-72-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य **53S440500101720105 45**	200.00	189.80398	10.19602
2	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-72- तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य **53S44050079672010545**	300.00	294.13834	5.86166
	कुल योग :	**500.00**	**483.94232**	**16.05768**

मो0 483.94232 लाख (चार करोड़ तिरासी लाख चौरानवे हजार दो सौ बत्तीस) रू0 मात्र।

4. राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना अंतर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।

5. इस योजना अंतर्गत संपूर्ण उपबंधित राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय होगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग/धनबाद/देवघर/पलामू/राँची/पूर्वी सिंहभूम तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, रामगढ़/सिमडेगा एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे। कंडिका 2 में अंकित कार्यों {कंडिका-02 का क्रम सं0 (क)-2, 5 एवं 9 तथा क्रम सं0 (ख)-2 एवं 5 को छोड़कर}, वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से

Scanned by CamScanner

राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंताओं को पुस्त हस्तांतरण/डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करायी जाएगी। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से निरंतर संपर्क कर कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

कंडिका 2 के क्रम सं0 (क)-2 एवं क्रम सं0 (ख)-2 तथा 5 में उल्लेखित कार्यों हेतु संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, राँची को जबकि कंडिका 2 के क्रम सं0 (क)-9 में उल्लेखित कार्य हेतु संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, धनबाद को पुस्त हस्तांतरण/डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करायी जाएगी।

कंडिका 2 के क्रम सं0 (क)-5 में उल्लेखित कार्य हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग होंगे जिनके द्वारा एन0एफ0डी0बी0, हैदराबाद द्वारा निर्धारित मानकों के तहत् ही आर0ए0एस0 का अधिष्ठापन कार्य किया जाएगा।

6. तकनीकी रुप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित कराने के उपरांत ही कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को अंतिम भुगतान किया जाएगा।

7. यह चालू प्रकृति की राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

8. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होगें तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

9. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

10. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0 -01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

11. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

12. योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत बजट उपबंध मो0 3600.00 लाख रु0 (संशोधित बजट उपबंध मो0 3528.00 लाख रु0) मात्र में से मो0 3178.009 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

13. किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरुप किया जाय।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

Scanned by CamScanner

15. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 49(T)V(9) मत्स्य / राँची, दिनांक 29/03/22

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/ संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची एवं संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 49(T)V(9) मत्स्य / राँची, दिनांक 29/03/22

प्रतिलिपि : योजना विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (बजट शाखा), झारखण्ड, राँची/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

Scanned by CamScanner